इस्पात का उत्पादन

*360. **श्री कलाश नारायण सारंग :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में इस्पात का उत्पादन इसकी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी औसत वार्षिक मांग और उत्पादन का मात्रावार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस्पात उद्योग को विनियंत्रित किये जाने के पश्चात्, कुछ स्वदेशी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने देश में इस्पात का उत्पादन करने में रुचि दर्शायी है; और

(घ) यदि हां, तो कितने विदेशी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने इस्पात के उत्पादन के लिए देश में अपने एकक स्थापित करने हेतु जून, 1992 के अन्त तक निर्णय कर लिया है ककों की उत्पादन क्षमता कितनी

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) :(क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1991—92 को समाप्त होने वाली 3 वर्ष की अवधि के लिए 156.2 लाख टन परिसज्जित इस्पात की औसत वार्षिक मांग की तुलना में उसी अवधि के दौरान परिसज्जित इस्पात का औसत वार्षिक उत्पादन 135.8 लाख टन हुआ।

(ग) जी, हां।

(घ) हालांकि नई इस्पात परियोजनाओं को कार्यान्वित करने अथवा विद्यमान परियोजनाओं का विस्तार करने के लिए भारतीय कम्पनियों में विदेशी उद्यमों/अनिवासी भारतीयों द्वारा साम्य भागीदारी के लिए कुछ मामलों में मजूरी दे दी गयी है परन्तु इस्पात के उत्पादन के लिए देश में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए विदेशी व्यावसायिक उद्यमों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

Consumption of fertilizers in Guntur District of Andhrn Pradesh

£2423. DR. YELAMANCHILI SIVAJI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what is the total quantity of fertilisers used in Guntur district of Andhra Pradesh per annum;

(b) what is the value of the same; and

(c) what is the rank of this district in fertiliser consumption in the entire country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN) : (a) and (b) The average per annum consumption of fertilisers in Guntur district of Andhra Pradesh in the last five years is 1.62 lakh tonnes N+P+K at approximate value of Rs. 90 crores.;

(c) During the year 1990-91, Guntur district stood first in fertiliser consumption.

उत्तर प्रदेश में नकदी फसलों को पैदावार

2424. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991—92 के वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में नकदी फसलों को कितनी पैदावार हुई थी ;

£Previously Unstarred Question 146 transferred from 23rd July, 1992.

(ख) सरकार ने 1991–92 के वर्ष के दौरान, नकदी फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश को कितनी सहायता प्रदान की थी; और

(ग) उत्तर प्रदेश में नकदी फसलों की खेती के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1991–92 के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रमुख नकदी फसलों अर्थात, तिलहन का 13.50 लाख मीटरीक टन गन्ने का, 1040 लाख मीटरीटन, कपास की 0.15 लाख गांठें (प्रत्येक 170 कि०ग्रा०) जूट की 0.03 लाख गांठें (प्रत्येक 180 कि०ग्रा०) का कुल उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) 1991–92 के दौरान उत्तर प्रदेश को तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत 409.50 लाख रुपए, गहन कपास विकास कार्यक्रम के लिए 6.83 लाख रुपए और विशेष जूट विकास कार्यक्रम के लिए 24.00 लाख रुपए की सहायता दी गई है।

(ग) सरकार की सहायता का मुख्य बल नगदी फसलों के भू-क्षेत्र के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने पर दिया गया है। भारत सरकार ने खरीफ की परती भूमि के उपयोग को प्रोत्साहन दिया है तथा अन्त: फसल पद्धति और उत्तर-वर्ती फसल पद्धति पर बल दिया है ताकि नकदी फसलों को खेती को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन किया जा सके।

सूखाग्रस्त मध्य प्रदेश राज्य को केन्द्रीय सहायता

2425. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया :** क्या कृषि मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को इंदौर खंडपीठ ने अपने 17 जून, 1992 के दिशा-निर्देश में केन्द्रीय सरकार से यह कहा है कि वह सूखे की स्थिति से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को तीन सप्ताह के भीतर राहत राशि प्रदान करे ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश के अनुसरण में मध्य प्रदेश सरकार को निर्धारित राशि प्रदान कर दी है ;

(ग) यदि नहीं, तो कितनी सूखा राहत राशि प्रदान की जायेगी और यह राशि कब तक दे दी जायेगी, और

(घ) क्या उक्त राशि केन्द्रीय सूखा अध्ययन दल द्वारा किये गये आकलन के अनुरूप होगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुलापल्ल्ली रामचन्द्रन) : (क) माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर ने दिनांक 17–6–92 के अपने आदेश में निर्देश दिया था कि यदि केन्द्र सरकार ने इस राशि का पहले ही अनुमान लगा लिया है जो इसके अनुसार सूखा राहत हेतु मध्य प्रदेश सरकार को दिया जाना देय है, तो वह राशि तुरन्त निर्मुक्त की जायेगी एवं सूखा राहत उद्देश्य के लिए विशेषकर 3 सप्ताहों के भीतर राज्य के प्राधिकारियों के हाथों सुपुर्द कर दी जायेगी।

(ख) से (घ) सूखे की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए मध्य प्रदेश का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में स्थिति ऐसी व्यापक और गम्भीर नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसके निपटान की जरूरत पड़े। अत: केन्द्रीय सरकार के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वह आपदा राहत निधि के प्रावधानों से अधिक कोई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करे। तथापि, राहत उपायों के लिए राज्य सरकार के संसाधनों को बढ़ाने हेतु, भारत सरकार ने अग्रिम रूप से प्रत्येक 6.9375 करोड़ रुपए की आपदा राहत निधि के केन्द्रीय शेयर की दूसरी एवं तीसरी किस्त निर्मुक्त की हैं।